भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3596
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों द्वारा अनियमितताएँ

†3596. **श्री कुंदुरु रघुवीर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों द्वारा गलत जानकारी, नकली दस्तावेज तथा अवसंरचना, संकाय एवं वित्तीय संसाधनों के संबंध में भ्रामक विवरण प्रस्तुत किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त, सत्यापित एवं सही पाई गई शिकायतों की राज्य-वार संख्या तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें संस्थानों ने मान्यता प्राप्त करने के पश्चात निरीक्षण के दौरान प्रदर्शित योग्य संकाय सदस्यों को हटाकर निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए अयोग्य अथवा कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मान्यता प्रदान किए जाने के पश्चात् निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संकाय, अवसंरचना एवं शैक्षणिक मानकों का समय-समय पर निरीक्षण, आकस्मिक लेखा-परीक्षण तथा डिजिटल सत्यापन किया जाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पारदर्शिता बढ़ाने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा ऐसी अनियमितताओं में लिप् एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने वाले संस्थानों के विरुद्ध मान्यता के निलंबन अथवा निरस्तीकरण सहित कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के अनुसार, एक विश्वविद्यालय की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम, एक राज्य अधिनियम या एक प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत की जाती है। इसके अलावा, किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया को विनियमित करने और ऐसे सम

विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, यूजीसी ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 अधिसूचित किए। इन विनियमों के अनुसार, विनियमों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले संस्थान के एक प्रायोजक निकाय को अपने सभी दस्तावेजों जैसे अवसंरचना, संकाय, शैक्षणिक मानकों, शासन, अनुसंधान गतिविधियों और वित्तीय संसाधनों को यूजीसी के वेब पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

यूजीसी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने वाले संस्थान का व्यापक वर्चुअल मूल्यांकन करती है। यह अवसंरचना, संकाय, शैक्षणिक मानकों, शासन, अनुसंधान गतिविधियों और वित्तीय संसाधनों के संबंध में संस्थान के दावों की पुष्टि करती है, और लागू यूजीसी विनियमों के अनुपालन का आकलन करती है। अपने निष्कर्षों के आधार पर, समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिशों के साथ एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। साथ ही, प्रायोजक निकाय एक कानूनी वचन देता है कि निरीक्षण से पहले और निरीक्षण के दौरान प्रदान की गई सभी सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े सही और सटीक हैं और यूजीसी तथा संबंधित सांविधिक परिषद (परिषदों) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और उनका पालन करेंगे।

इन विनियमों के अनुसार, प्रायोजक निकाय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियां संस्थान की वेबसाइट पर प्रकट की जाएं, जो संस्थान या प्रायोजक निकाय जैसा भी मामला हो, के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित हों। तथापि**,** आयोग को प्रेषित सूचना और साथ ही संस्थान की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी की सटीकता और सत्यता के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने पर आयोग समविश्वविद्यालय संस्था के भौतिक सत्यापन का निर्णय लेगा अथवा ऐसे सत्यापन के लिए स्वयं एक टीम का गठन करेगा।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में यह विचार किया गया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थान सभी प्रासंगिक रिकॉर्डों के पारदर्शी स्व-प्रकटीकरण के माध्यम से हितधारकों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे। एनईपी, 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यूजीसी ने सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण दिशानिर्देश, 2024 जारी किए हैं। तदनुसार, प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को हितधारकों के लिए प्रासंगिक स्व-प्रकटीकरण करने के लिए एक कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
